

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021, के संगत प्रावधानों एवं माननीय नियामक आयोग के पत्र क्र. 2021, दिनांक 24.10.2024 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश योजना (CIP) के अनुमोदन हेतु याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे याचिका क्रमांक 102/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। उक्त याचिका में वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग सहित उपभोक्ता सेवाओं में स्वचालन, स्मार्ट मीटरिंग और उन्नयन के साथ मौजूदा वितरण नेटवर्क में सुधार, मजबूती और नये कनेक्शन देने हेतु बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव दिया है। जिसका सारांश नीचे तालिका में दर्शित हैं :-

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत निवेश योजना (CIP) (रु. करोड़)

स.क्र.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2025-26	कुल का प्रतिशत
अ	सरकारी वित्तपोषित योजनाएं	2,022.05	50.83%
1	कृषि पम्प ऊर्जीकरण एवं आरजीजीवीवाई के अलावा अन्य ग्रामीण ऊर्जीकरण कार्य	200.00	5.03%
2	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	250.00	6.28%
3	मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण	100.00	2.51%
4	रिवेमपड योजना	1,462.18	36.76%
5	स्मार्ट मीटर टेस्टिंग बेंच	9.87	0.25%
ब	आंशिक या पूर्णरूप से छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लि. वित्तपोषित योजनाएं	1,755.90	44.14%
1	सामान्य विकास Normal Development (ऑब्लिगेटरी)	900.00	22.62%
2	सब-ट्रांसमिशन और सिस्टम इम्प्रूवमेंट	515.53	12.96%
3	ईआईटीसी सेप और आईटी परियोजना	153.10	3.85%
4	सिविल कार्य	187.27	4.71%
स	पूर्णरूप से उपभोक्ता योगदान द्वारा वित्तपोषित योजनाएं	200.00	5.03%
1	सामान्य विकास (कन्ट्रीब्यूटरी)	200.00	5.03%
द	कुल	3,977.95	100%

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लि. द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश की प्रस्तावित संरचना (रु. करोड़)

विवरण	वर्ष 2025-26	कुल का प्रतिशत
ऋण / अन्य	1,123.38	28.24%
उपभोक्ता योगदान	200.00	5.03%
इक्विटी	1,071.78	26.94%
केन्द्रीय अनुदान	877.31	22.05%
राज्य अनुदान	705.49	17.73%
कुल	3,977.95	100%

तदनुसार, वितरण कंपनी ने माननीय नियामक आयोग से अनुरोध किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय रु. 3977.95 करोड़ को ऊपर दर्शाए गए वित्तपोषित संरचना के साथ अनुमोदन प्रदान करे।

उपरोक्त याचिका की प्रति माननीय सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर एवं कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, चतुर्थ तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में उपलब्ध हैं, जिन्हें रु. 100/— के भुगतान के साथ किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के अतिरिक्त डाक व्यय हेतु रु. 50/— के साथ याचिका की प्रति उक्त कार्यालय से डाक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि. की वेबसाइट www.cspdcl.co.in पर भी उपलब्ध है।

याचिका से प्रभावित होने वाले सभी संबंधित पक्षकारों से याचिका पर आपत्तियां/सुझाव इस नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति/सुझाव आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों की समयावधि के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एवं/या कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सुझाव/आपत्ति ई-मेल द्वारा ई-मेल आई डी cserc.sec.cg@nic.in एवं/या cecomcseb@rediffmail.com पर भी भेजे जा सकते हैं।

माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/संस्थाओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकता है, जिसके स्थान एवं तिथि की जानकारी माननीय आयोग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से पृथक से प्रसारित की जावेगी।

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

Public Notice

In pursuance to relevant provision of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulation, 2021, and in pursuance to the Hon'ble Commission's letter no. 2021, dtd. 24.10.2024, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) has filed a petition for approval of Capital Investment Plan (CIP) for FY 2025-26 before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), which is registered as Petition No. 102/2024. In the said petition, CSPDCL has proposed capital expenditure for improving and strengthening the existing distribution network with automation, smart metering, upgradation of consumer services including billing and for extension of infrastructure for serving new connections in urban as well as rural areas. The summary of proposed petition is given below :-

Capital Investment Plan for the period FY 2025-26 (Rs. Crore)

S.N.	Name of the Scheme	FY 2025-26	% of Total
A	Government Funded Schemes	2,022.05	50.83%
1	Agriculture pumps Energization and RE works other than RGGVY	200.00	5.03%
2	Mukhya Mantri Shahari Vidyutikaran Yojana	250.00	6.28%
3	Mukhya Mantri Majra Tola Vidyutikaran	100.00	2.51%
4	Revamped Schemes	1,462.18	36.76%
5	Smart meter testing bench	9.87	0.25%
B	Partly or Fully CSPDCL Funded Schemes	1,755.90	44.14%
1	ND Scheme (Obligatory)	900.00	22.62%
2	Sub transmission and system improvement	515.53	12.96%
3	EITC SAP & IT Project	153.10	3.85%
4	Civil Works	187.27	4.71%
C	Fully Funded by Consumer Contribution	200.00	5.03%
1	ND Scheme (Contributory)	200.00	5.03%
D	TOTAL	3,977.95	100.00%

Proposed structure of Capital Investment for partly or fully CSPDCL funded schemes for FY 2025-26 (Rs. Crore)

Particulars	FY 2025-26	% of Total
Debt/other	1123.38	28.24%
Consumer Contribution	200.00	5.03%
Equity	1071.78	26.94%
Grant Central	877.31	22.05%
Grant State	705.49	17.73%
Total	3977.95	100.00%

Accordingly, CSPDCL has filed the petition before the Hon'ble Commission to approve the projected capital expenditure of Rs. 3977.95 Crore for the period FY 2025-26 with funding pattern as shown above.

Interested persons can purchase copy of petition on any working day on payment of Rs. 100/- from the office of CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur or the office of Executive Director (RA&PM), CSPDCL, 4th Floor, Vidhut Sewa Bhavan, Dagania, Raipur. The copy of petition can also be obtained by post from aforesaid offices on additional payment of Rs. 50/-. The petition is also available at Commission's website www.cserc.gov.in and CSPDCL's website www.cspdcl.co.in.

Persons/institutions intending to file objections/suggestions on aforesaid petition may send their objections/suggestions directly to Secretary, CSERC and/or Executive Director (RA&PM) within 21 days from the date of publication of this notice. Objections/suggestions can also be mailed to e-mail address cserc.sec.cg@nic.in and/or cecomcseb@rediffmail.com.

The Hon'ble Commission may provide opportunity of personal hearing to interested person/institutions for which place and date shall be notified by the Hon'ble Commission through newspapers separately.

Executive Director (RA&PM)
CSPDCL: Raipur